5 विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2017-2018 तथा 2018-2019 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2016-2017	बजट अनुमान 2017-2018	संशोधित अनुमान 2017-2018	बजट अनुमान 2018-2019
1. ऋण	44,191.49	46,070.00	42,212.00	40,881.00
2. घटाएं-राज्य परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण	...	...	-12,732.00	14,016.00
क. निवल विदेशी ऋण (1-2)	44,191.49	46,070.00	29,480.00	26,865.00
ख. नकद अनुदान	1,299.59	1,948.00	1,513.00	1,387.00
ग. वस्तु अनुदान सहायता	...	1,112.00	2,168.00	1,280.00
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**45,491.08**	**49,130.00**	**33,161.00**	**29,532.00**
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	26,194.89	30,281.00	27,066.00	29,455.00
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	**19,296.19**	**18,849.00**	**6,095.00**	**77.00**
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	5,144.28	5,768.00	5,792.00	6,188.00
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	**14,151.91**	**13,081.00**	**303.00**	**-6,111.00**

वित्त मंत्रालय द्वारा द्विपक्षीय भागीदारों के साथ विकास सहयोग हेतु आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के संबंध में 8 दिसम्बर, 2015 को जारी नए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान द्विपक्षीय भागीदारों के अलावा अन्य देशों से भी ओडीए स्वीकृत की जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि सामान्य मार्ग से सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त, विशेष ऋणों (अर्थात् ऐसे ऋण जिनके लिए वित्तीय सहायता करने वाले देश से निष्पादनकारी एजेंसी के प्रापण के लिए शर्तें रखी गई हैं) के रूप में द्विपक्षीय सहायता की पेशकश को भी स्वीकृत किया जाए)।

सरकार द्वारा द्विपक्षीय विकास सहायता भी प्राप्त की जा सकती है, यदि यह सहायता किसी बहुपक्षीय एजेंसी के जरिए अथवा सह-वित्तपोषण से दी जाती है तथा बहुपक्षीय एजेंसी द्वारा उसके अपने नियमों और प्रक्रियाओं के तहत प्रस्तावित कार्यक्रम/परियोजना क्रियान्वित किया जाना हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं भागीदार बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के बीच उनकी नीतियों के भाग के रूप में बनाई जाएं। ऐसे सह-वित्तपोषित कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं, कार्यक्रम/परियोजना चलाने वाली बहुपक्षीय एजेंसी को प्रयोज्य प्रक्रियाओं द्वारा अभिशासित होंगी।

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा दी जा रही सहायता का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) द्विपक्षीय

I. फ्रांस

1. फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। भारत में एजेंसी फॉर डवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऊर्जा दक्षता नवीकरण ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल) है। एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं-"कोची मेट्रो परियोजना" जैव-विविधता परिरक्षण और "बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना-II"।

II. जर्मनी

संघीय गणराज्य जर्मनी 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय कार्यक्रमों का केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये कार्यान्वयन किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और स्थायी प्रयोग, स्थायी आर्थिक विकास।

केएफडब्ल्यू सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- 'तमिलनाडु में सम्पोषणीय नगर पालिका अवसंरचना वित्तपोषण', 'शूगटुंग-कर्चम पनबिजली परियोजना-एचपी', हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश में 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंट्रा ट्रांशमिशन प्रणाली' तथा हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी की जलवायु प्रूफिंग।

III. जापान

जापान 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापान की ओर से सरकारी विकास सहायता, ऋण, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जेआईसीए परियोजनाएं परिवहन, विद्युत, सिंचाई, पर्यावरण और निवेश संवर्धन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं।

जेआईसीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- 'दिल्ली मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना', 'डेडिकेटेड मालभाड़ा (फ्रेट) कॉरिडोर परियोजना', 'कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना', 'चेन्नई मेट्रो परियोजना', 'बेंगलुरू जलापूर्ति और सीवेज परियोजना', 'बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना', 'अहमदाबाद मेट्रो परियोजना', 'तमिलनाडु पारेषण प्रणाली सुधार परियोजना'।

IV. रूसी परिसंघ

भारत और रूसी संघ (पहले यूएसएसआर) के बीच विकासात्मक सहयोग साठ के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था, जिसमें 4 % प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, 2600 मिलियन अमरीकी डालर के सरकारी ऋण की व्यवस्था बढ़ाकर रूसी परिसंघ से आपूर्ति और सेवा पर आने वाली लागत 85% भाग तक कर दी गई है।

कुडनकुलम में (यूनिट 5 और 6) अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई, 2017 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के करार के प्रोटोकाल सं.2 पर हस्ताक्षर किए गए थे।

ख. बहुपक्षीय

I. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी 1966 में स्थापित एक मुख्य क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए 1986 में एडीबी से उधार लेने का निर्णय लिया गया था। एडीबी के ऋणों की ब्याज दर परिवर्तनशील होती है अधिकतमम 25 वर्षों की परिपक्वता अवधि के साथ 6 मासिक एलआईबीओआर जमा 0.04 से 0.60 तक की घट-बढ़ दर होती है, इन ऋणों में 5 वर्ष की ग्रेस अवधि भी शामिल है। असंवितरित ऋण राशि पर 0.15% प्रतिवर्ष की दर से वचनबद्धता प्रभार उन ऋणों पर लागू होता था जो 2 अक्तूबर 2010 के बाद प्रारंभ किए गए।

एडीबी के प्रचालन अब विद्युत, परिवहन और शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त वित्तीय संस्थागत संभरणीय जीविकोपार्जन, कौशल विकास और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, कृषि-कारोबार अवसंरचना विकास निवेश और पर्यटन तक फैल गए हैं। सरकारी खाते में एडीबी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं 'मध्य प्रदेश जिला कनेक्टिविटी क्षेत्र परियोजना', 'ग्रामीण कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम परियोजना-3', 'सासेक सड़क कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम'।

एडीबी विशेष तौर पर विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों को गारंटीकृत राजकीय ऋण भी प्रदान करता है।

II. यूरोपीय संघ बैंक

यूरोपीय निवेश बैंक यूरोपीय संघ की वित्तपोषण संस्था है जिसे पूंजी निवेश के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए रोम संधि के तहत 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी 23 कि.मी. लंबी 'लखनऊ मेट्रो रेल लाइन' के निर्माण हेतु 450 मिलियन यूरो (लगभग ₹3300 करोड़) प्रदान करेगा।

III. वैश्विक निधि संगठन

वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया (जीएफएटीएम) से मुकाबला करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए समर्पित है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में प्रचालन शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है।

इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही 3 परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं- 'इंक्रिजिंग एक्सेस एण्ड प्रोमोटिंग कम्प्रेहेंसीव केयर', 'सपोर्ट एंड ट्रिटमेंट, गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3" और 'तपेदिक"।

IV. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 32 सरकारी परियोजनाओं को सहायता दी है।

वर्तमान में, आईएफएडी द्वारा सहायता प्राप्त कुल 18 परियोजनाएं क्रियान्वयन में हैं। वर्तमान में चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं-समेकित आजीविका सहायता परियोजना और झारखंड जनजातीय सुधार एवं आजीविका परियोजना।

V. न्यू डेवलेपमेंट बैंक (एनडीबी)

ब्रिक्स देशों ने शंघाई, चीन में न्यू डेवलेपमेंट बैंक की स्थापना की है। भारत में एनडीबी द्वारा दिया गया प्रथम ऋण 350 मिलियन अमरीकी डॉलर का है जो मध्य प्रदेश में प्रमुख-प्रमुख जिला सड़कों के वित्तपोषण के लिए है।

VI. एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)

एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जो मुख्यतः ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार, ग्रामीण अवसंरचना और कृषि विकास के लिए ऋण देता है। भारत में 2017 में एआईआईबी के साथ दो ऋणों - एक विद्युत और दूसरा सड़क क्षेत्र के लिए - पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

VII. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का समग्र मिशन स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कार्यक्रम वाले देशों को अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना है। वर्तमान देश कार्यक्रम (सीपी) 2013-17 में प्रजातंत्रिक सुशासन, गरीबी उन्मूलन, एचआईबी, ऊर्जा एवं पर्यावरण, स्थायी विकास और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह देश कार्यक्रम आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों पर केंद्रित है।

VIII. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

VIII(क). अंतरराष्ट्रीय पुनर्निमाण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी ऋण, हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक संसाधनों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए सम्पोषणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी कम करना है।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ परियोजनाएं हैं-राष्ट्रीय राजमार्ग आंतर संपर्कता सुधार परियोजना, जल क्षेत्र सुधार परियोजना, 'स्वच्छ भारत मिशन सहायता प्रचालन', दूसरी कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना', ईस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर-1 परियोजना आदि हैं। आईबीआरडी मुख्यतः विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू और पीएसबी को भी सॉवरेन गारंटी ऋण प्रदान करता है।

VIII(ख). अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आईडीए अपने सदस्य देशों को रियायती ऋण देता है। आईडीए से लिए गए ऋण की वापसी अदायगी इस समय 25 वर्ष है जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि शामिल है। आईडीए की निधियां मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाती हैं जो एमडीजी प्राप्त करने में योगदान करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, द्वितीय तकनीकी/इंजीनियरिंग शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना, माध्यमिक शिक्षा परियोजना और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना जैसे भारत के फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों की आईडीए ऋणों, जो अधिकांश एसडीआर में होता है, किन्तु अमरीकी डालर में संवितरित और पुनः अदा किया जाता है, द्वारा सहायता की जा रही है।